(1)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्र0 / वि0यॉ0 / निर्माण / 2024 / ई निविदा / 1316 रीवा, दिनांक 23-8-024

ई.निविदा विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों / विभागों के लिये सफाईकर्मी, कारपेन्टर, कम्प्यूटर आपरेटर, प्लम्बर कारीगर एवं अकुशल श्रमिको की व्यवस्था हेतु निविदा शर्तो के आधीन ऑनलाइन ई–निविदा दिनांक 12-9-2024 तक आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर तथा https//mptenders.gov.in/nicgep/app पर भी देखा जा सकता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर केन्द्र अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार निविदा का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें। 1) हितवाद - जबलपुर [illegible]
2. सम्पादक महोदय 2) पत्रिका - सतना [illegible] 3) [illegible] उपर्युक्त ई–निविदा सूचना को संलग्न साइज 12×4=48 Scm) में ही एक बार प्रकाशित कर देयक दो प्रतियों में समाचार पत्र की प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करायें। इससे अधिक साइज में मुद्रित करने पर अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. वित्त नियंत्रक महोदय, अ.प्र.सिंहवि.वि. रीवा म.प्र.।
9. सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, अ.प्र.सिंहवि.वि. रीवा म.प्र.।
10. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

दिनांक 23-8-2024

विश्वविद्यालय यंत्री
अ.प्र.सिंह.वि.वि.
रीवा (म0प्र0)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

ई.निविदा आमंत्रण सूचना

क्र0 / वि0यॉ0/ निर्माण / 2024 / 1316 रीवा, दिनांक 23-8-2024

निविदा प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण दिनांक

1.	निविदा का विवरण	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो / कार्यालयो में कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल कर्मचारी / श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत्।
2.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता	निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि 2000 / –(रु.दो हजार) मात्र, है जो ई–टेण्डर की वेबसाइट https//mptenders.gov.in पर ऑनलाईन देय कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
3.	ऑनलाईन निविदा जारी करने की दिनांक एवं समय	23-8-2024
4.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	12-9-2024
5.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	12-9-2024
6.	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	24-9-2024 (अपरान्ह)
7.	वित्तीय निविदा आनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	तकनीकी विड खुलने के बाद

नोटः–

डॉ0 सुरेन्द्र सिंह परिहार
कुलसचिव
अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय
रीवा (म0प्र0)

अनुमानित संख्या

1.	सफाई कर्मी (अकुशल)	—	संभावित संख्या— 50 (पचास)
2.	कारपेन्टर (कुशल)	—	संभावित संख्या— 02(दो)
3.	कारीगर (कुशल)	—	संभावित संख्या— 02 (दो)
4.	प्लम्बर (कुशल)	—	संभावित संख्या— 01 (एक)
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुशल)	—	संभावित संख्या— 10 (दस)
6.	श्रमिक (अकुशल)	—	संभावित संख्या— 20 (बीस)

कुल — 85=00

विश्वविद्यालय यंत्री
अ.प्र.सिंह.वि.वि.
रीवा (म0प्र0

तकनीकी विड हेतु प्रपत्र

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद कर लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।

स.क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे। पृष्ठ क्र. .... दर्शायें	
		हाँ	नहीं
1.	अमानत राशि रुपये ऑनलाइन जमा की रसीद		
2	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online Parchased) I		
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।		
4.	वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 , 2022–23 का रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।		
5.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।		
6.	जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति।		
7.	त्रैवार्षिक एवरेज टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी 1 करोड़ वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020--21, 2021–22, 2022–23 सत्यापन हेतु सी ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।		
8	ई.पी.एफ. का पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति।		

9.	श्रम विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की सत्यापित प्रतियां।		
10	100 रु. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषण पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड।		
11	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो निविदा प्रकाशन दिनांक .... के पश्चात जारी किया गया हो।		
12	ई.एस.आई. का पंजीयन की प्रमाणित प्रति।		
13	एजेंसी का शास. संस्थानों में पिछले वित्तीय 5 वर्षो का कार्यानुभव संलग्न करें।(प्रमाणित छायाप्रतियों में) अनावश्यक दस्तावेज ना लगाये।		

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....एवं

दूरभाष क्रमांक ....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील..

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
प्राइज–बिड

क्रमांक	विवरण	मजदूरी प्रति कर्मचारी / 8 घन्टे / प्रतिमाह दरें समस्त करो सहित मजदूरी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. एवं अन्य
1.	सफाई कर्मी (अकुशल)	
2.	कारपेन्टर (कुशल)	
3.	कारीगर (कुशल)	
4.	प्लम्बर (कुशल)	
5.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुशल)	
6.	श्रमिक (अकुशल)	
7.	सेवा कर	

नोटः– दरें समस्त करो सहित न्यूनतम मजदूरी ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. एवं अन्य खर्चा सहित।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

निविदाकर्ता का नाम एवं पता..
निविदाकर्ता का पता..

दूरभाष क्रमांक..

मोबाइल नंबर..
ई–मेल..

निविदाकर्ताओं हेतु निर्देश एवं निविदा की शर्तें

निविदा तकनीकी रूप से सफल होने के लिए निविदाकर्ता को निम्न अर्हताऐ अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

कंडिका	अनिवार्य अर्हताऐं
1.	निविदाकर्ता का कार्यालय (मुख्यालय अथवा कोई शाखा) जिले में होनी चाहिए। (पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
2.	फर्म/संस्था के कार्यालय का वैध स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
3.	निविदाकर्ता के पास फर्म अथवा प्रोपराईटर का पेनकार्ड होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
4.	प्रायवेट सफाई ऐजेन्सी का बैध पंजीयन होना अनिवार्य है।
5.	निविदाकर्ता के पास ई.पी.एफ. (EPF) का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
6.	निविदाकर्ता के पास ई.एस.आई.सी. (ESIC) का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
7.	निविदाकर्ता के पास श्रम विभाग का वैध (Valid) पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
8.	निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी.(GST) पंजीयन होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
9.	निविदाकर्ता को इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था अथवा केन्द्र शासित संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है तथा संस्थान के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
10.	निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि रू. 1,00,000 (रु.एक लाख) मात्र, का डिमाण्ड–ड्राफ्ट/बैंकर चैक कुलसचिव के नाम से धरोहर राशि के रूप में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं सफल निविदाकार को अनुबंध के साथ सुरक्षा निधि के रूप में परफरमेंस राशि (कार्यादेश के अनुसार अनुमानित वार्षिक राशि पर नियमानुसार) का डी.डी./बैंकर चेक के रूप में विभाग को उपलब्ध करवानी होगी, धरोहर राशि एवं परफामेंस राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। (ऑनलाईन/चेक मान्य नहीं किये जायेंगे)

11.	परिशिष्ट ''ब'' घोषण–पत्र संलग्न करना होगा।
कंडिका	तकनीकी अर्हतायें
1.	निविदाकर्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22, 2022–23 में शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने संबंधी कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। (पृथक–पृथक प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
2.	निविदाकर्ता के पास वित्तीय विर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22, 2022–23 में न्यूनतम राशि रू. 10000000 (रू. एक करोड़) मात्र, प्रतिवर्ष को टर्नओवर होना चाहिए– 1. इस संबंध में अंकेक्षित वित्तीय विवरण अथवा अंकेक्षण न होने की स्थिति में परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न प्रारूप में सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2. आयकर रिटर्न (कम्प्युटेशन के साथ) वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22, 2022–23 की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

नोटः— 1— निविदाकर्ता को उक्त दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर ई—निविदा में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा आवेदन/अमान्य कर दिया जावेगा।

2— सभी वांछित जीवित पंजीयन/रजिस्ट्रेशन निविदा प्रकाशन की तिथि के पूर्व के होना अनिवार्य है।

3— निविदा में मांगें गये दस्तावेजो के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज संलग्न न किया जावे। अन्यथा कि दशा में निविदा अमान्य की जा सकेगी।

निविदा शर्ते

4- निविदाकर्ता को अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय में लगभग 85 (पचासी) अनुमानित संख्या **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** (सफाई कर्मी, कारपेन्टर, प्लम्बर, कारीगर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं श्रमिक) उपलब्ध कराने होंगे। यह संख्या अनुमानित है जो कि आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

2. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** पर श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देश लागू होंगे।

3. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** का विधिवत पंजीयन अपने कार्यालय में करना होगा एवं कर्मचारियों की सूची बायोडाटा, फोटो, आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सहित अनुबंध के 15 दिवस में कार्याल्य में उपलब्ध करवानी होगी।

4. सभी कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उनका व्यवहार सौम्य एवं मधुर होना चाहिए। कोई भी श्रमिक संदेहास्पद चरित्र का नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त करना निविदाकर्ता के लिए अनिवार्य होगा।

5. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** को आदेशित स्थान पर कार्य करना होगा।

6. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** को विश्वविद्यालय में पदस्थ अधिकारियों द्वारा निर्देशित समस्त कार्य पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करने होंगे, संस्था की गोपनीयता भंग नही करेंगे, ऐसा पाये जाने पर निविदाकर्ता को तुरंत ही उसकी सेवा समाप्त करनी होगी।

7. निविदाकर्ता को कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापित उपस्थिति पत्रक भुगतान देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

8. निविदाकर्ता द्वारा प्रत्येक माह निर्धारित कलेक्टर दर/श्रमायुक्त इंदौर द्वारा घोषित दर पर **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** को दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान ई—पेमेन्ट के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में करना होगा।

9. कलेक्टर/श्रमायुक्त इंदौर द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर दिशा निर्देश का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

10. निविदाकर्ता को **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** को EPF की कटौती राशि (नियोक्ता/कर्मचारी) एवं ESIC कटौती राशि (नियोक्ता) एवं अन्य संबंधित कटौती राशि को प्रतिमाह समय अवधि में संबंधित कार्यालय में जमा कराने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा। प्रत्येक माह के भुगतान देयक के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति सूची, कर्मचारियों का **ESIC, EPF (UAN) Number,ECR** कटौती राशि एवं बैंक खाता कमांक में कर्मचारियों के भुगतान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

11. निविदाकर्ता को **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** का वेतन भुगतान माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाना होगा। कार्यालय से भुगतान प्राप्त न होने अथवा विलम्ब की स्थिति में कर्मचारियों को कार्य–दिवस के आधार पर पूर्ण भुगतान समय पर करने का पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा।

12. निविदाकर्ता को मासिक आधार पर देयक तीन प्रतियों में अनुबंधित दर एवं अन्य कर सहित प्रत्येक माह की 03 तारीख (तीन कार्य दिवस) तक कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

13. निविदाकर्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन अनुसार प्रतिमाह, भविष्य निधि, ई.एस. आई.सी. की राशि कम जमा अथवा जमा नहीं किये जाने की शिकायत पाये जाने पर निविदाकर्ता को अपने स्तर पर निराकरण करना होगा, यदि निविदाकर्ता द्वारा निराकरण नहीं किया जाता है तो निविदाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंध निरस्त कर परफॉमेन्स राशि राजसात कर ली जावेगी।

14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये **कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक** के दुर्घटना/बीमारी/चिकित्सा से संबंधित क्लेम एवं अन्य विवादों के निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा।

15. GST का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पृथक से देय होगा। सेवा शुल्क पर GST एवं **Income Tax TDS** का कटौती नियमानुसार किया जावेगा।

16. निविदाकर्ता को ई–निविदा के वित्तीय दर पत्रक में सेवा शुल्क राशि को "**"No,31/14/1000/2014-GA Govt. of India, Ministry of Commerce& Industry (GA-Section) Udyog Bhavan, New Delhi, Dated 17 th September 2014"** के द्वारा परिशिष्ट "अ" परिपत्र अनुसार ई–निविदा के वित्तीय दर पत्रक में सेवा शुल्क की राशि को अंकित करना होगा। यदि अंको एवं शब्दों में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में अंकित राशि को ही मान्य किया जायेगा। (निविदा के वित्तीय दर पत्रक में सेवा शुल्क की राशि प्रतिव्यक्ति के मान से (प्रतिशत में) अंकित करनी होगी)

17. एक समान सेवा शुल्क दर की एक से अधिक निविदायें प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लिया जावेगा–

17.1 एक समान दरें पाये जाने पर ई–निविदा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर, अधिकतम टर्नओवर की फर्म को वरीयता दी जावेगी।

17.2 बिन्दु कमांक–17.1 के अनुसार समानता पाये जाने पर ई–निविदा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–20, 2021–22 एवं 2022–23 के (a) वार्षिक कार्य–अनुभव (संस्थानों से किये गए अनुबंधों की संख्या) एवं (b) उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की संख्या (कर्मचारी अधिक होने) के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

18. न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण होने पर निविदाकर्ता द्वारा लिखित आवेदन देने पर कार्यालय द्वारा सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत मजदूरी दर पुनरीक्षित की जावेगी।

19. निविदाकर्ता को अनुबंध उपरांत आवश्यकतानुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक कार्यालय में उपलब्ध करवाने होंगे, यदि समय–सीमा में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायें जाते है तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

20. निविदाकर्ता द्वारा कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रशिक्षित उपलब्ध कराने होंगे यदि वे प्रशिक्षित नहीं पाये जाते एवं कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति पाये जाने पर अनुबंध निस्फल मानते हुए अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

21. निविदाकर्ता को तकनीकी अर्हताओं से संबंधित समस्त दस्तावेज ई–निविदा के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। ई–निविदा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। प्राप्त दस्तावेज पठनीय न होने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

22. निविदा आवेदन स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित/फर्मसंस्था के लेटर हेड पर मांग पत्र प्रस्तुत करने पर ही धरोहर राशि (बिना ब्याज) वापसी योग्य होगी।

23. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध कराने से पूर्व ही कार्यालय से अपना प्रस्ताव वापिस लेता है अथवा नियत अवधि में अनुबंध नहीं करता है तो आदेश निरस्त कर, धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

परिशिष्ट "ब"

ANNUAL TURN OVER STATMENT

(This certificate has to be issued by the concerned charted Accountant on his letter head only)

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

The Annual Turnover of M/s.......................................for the past Four year are given below and certified that the statement is tru and correct.

Sr.No.	Financial Year	Turnover (Amount in INR)
1-	2019-20	
2-	2020-21	
3-	2021-22	
4-	2022-23	

Total-INR..

Average turnover per annaul-INR...

The above information is correct and true and verified from the audited final accounts.

Date:.......................

Seal:.........................

Signatuer of Auditor...................
(Charted Accountant)

(Name in Capital).........................

Membership No............................

परिशिष्ट "अ"

घोषणा–पत्र

क्र0	फर्म / संस्था	विवरण
1.	निविदाकर्ता फर्म / संस्था का नाम	
2.	निविदाकर्ता फर्म / संस्था का पता	
3.	दूरभाष कमांक / मोबाइल नं.	
4.	फर्म / संस्था का ई–मेल आई.डी.	
5.	फर्म / संस्था का स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन	
6.	मैन पॉवर सप्लाई ऐजेन्सी संचालन का पंजीयन कमांक	
7.	फर्म / संस्था का प्रोप्राइटर का पेन कार्ड न0	
8.	फर्म / संस्था का जीएसटी पंजीयन कमांक	
9.	फर्म / संस्था का ईपीएफ (EPF) पंजीयन	
10.	फर्म / संस्था का ईएसआईसी (ESIC) पंजीयन	
11.	धरोहर राशि रुपये 1,00,000 (रु.एक लाख) मात्र, डी.डी / बैंकर चैक का विवरण	
12.	संस्था का खाता क्रमांक एवं बैंक विवरण सहित	

प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा की शर्तें पढ़ने एवं समझने के पश्चात् ही निविदा की अर्हताएं कंडिकाओं को मैं / मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्ण रूपेण सत्य .हैं। इसमें किसी भी त्रुटि / लापरवाही / गलत जानकारी छिपाने अथवा संबंधित दस्तावेजों के ई–निविदा में संलग्न न करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तों इसके लिये मैं / संस्था जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की सील

//भाग–दो//

निविदा फार्म का वित्तीय प्रारूप

As per BOQ/Price BID

डॉ0 सुरेन्द्र सिंह परिहार
कुलसचिव
अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय
रीवा (म0प्र0)

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र.F11-1 /2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः - आउटसोर्स के माध्यम से विशिष्ट कार्यो हेतु चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्ति के संदर्भ में नीति- निर्देश।

राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों में नियमित कार्मिकों की उपलब्धता में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी की सेवायें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नीति- निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति आवश्यक है, उनका प्रथमतः संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा चिन्हांकन किया जाये।

(2) आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से चिन्हांकित पदों के विरूद्ध मानव संसाधन सेवायें तब तक ही प्राप्त की जाये, जब तक सेवाभर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार योग्य अभ्यर्थी नियुक्त नहीं होते हैं।

(3) आउटसोर्स एजेन्सी का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो कि जिला स्तरीय अधिकारी से अन्यून स्तर का हो, द्वारा भण्डार कय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अनुसार किया जाये।

(4) विभाग द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों की सेवायें, विभिन्न बजटीय योजना जहाँ योजना अंतर्गत ऐसा व्यय अनुमत्य हो, के अंतर्गत नियत उद्देश्य शीर्ष - 31 (व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां) में बजट की उपलब्धता के अध्याधीन ही प्राप्त की जायें। बजट की प्रत्याशा में आउटसोर्स एजेन्सी से सेवायें प्राप्त नहीं की जायें।

(5) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति नियमित पदों से होने पर आउटसोर्स की सेवायें तत्काल समाप्त की जाये।

Order - 38

Scanned with OKEN Scanner

(6) विभाग द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के नियमानुसार कटौत्रे एजेन्सी के माध्यम सुनिश्चित किये जायें।

(7) आउटसोर्स एजेन्सी की न्यूनतम निविदा की राशि की गणना निम्नानुसार (अ+ब+स के योग अनुसार) की जाये : -

(अ) कर्मियों के लिये श्रमायुक्त द्वारा नियत पारिश्रमिक

(ब) वैधानिक देयताएँ ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि

(स) एजेन्सी के प्रबंधकीय शुल्क (अ का 10%)।

(8) उपरोक्तानुसार उल्लेखित सेवाओं से भिन्न सेवा हेतु आउटसोर्स सेवा नियोजन करने के लिये वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

उपरोक्त नीति-निर्देशो का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्र F 11-1 /2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव/निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner